

राजस्थान ने लॉन्च की भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत; ज्युपीटाईस के साथ की साझेदारी

जयपुर। भारत की पहली एआई-पावर्ड, आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर में आयोजित 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन माननीय श्री उदय उमेश ललित द्वारा किया गया।

राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के टेक्नोलॉजी पार्टनर ज्युपीटाईस टेक्नोलॉजीज़ द्वारा इस डिजिटल लोक अदालत का डिज़ाइन और अवधारणा विकसित की गई है। दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री एनवी रमाना द्वारा कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरण रीजीजू और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में किया गया।

हाल ही के वर्षों में भारत में कानूनी मामलों का लंबित रहना सुर्खियों में रहा है, खासतौर पर महामारी के दौरान स्थिति और भी बदतर हो गई, जब अदालतों की कार्रवाई रुक सी गई थी।

हाल ही में बिहार के जिला न्यायालय ने 108 सालों के बाद एक विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाया, यह देश के सबसे पुराने लंबित मामलों में से एक है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सभी मामलों का निपटान करने में तकरीबन 324 सालों का समय लगेगा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 75 से 97 फीसदी न्यायिक समस्याएं अदालत तक कभी पहुंचती ही नहीं हैं, यानि 5 मिलियन से 40 मिलियन

मामले प्रति माह अदालत तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में तकनीकी हस्तक्षेप द्वारा भारत में विवादों की निपटान की इस गंभीर स्थिति को जल्द से जल्द हल करना बेहद जरूरी है।

दुनिया की पहली जस्टेक (जस्टिस टेक्नोलॉजी) कंपनी-ज्युपीटाईस देश के विभिन्न अर्ध-न्यायिक संस्थानों और एडीआर सेंटर्स के साथ काम कर रही है ताकि विवादों के निपटान के लिए डिजिटल प्रणाली को अपनाया जा सके। ज्युपीटाईस ने न्याय प्रणाली की मौजूदा समस्याओं को हल करने के लिए गहन अनुसंधान के बाद डिजिटल लोक अदालत की अवधारणा डिज़ाइन और विकसित की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेब, मोबाइल और सीएससी के जरिए देश के दूर-दराज के इलाकों तक भी न्याय पहुंचे तथा अन्य सेवाओं की तरह न्याय को किफ़ायती बनाया जा सके।

श्री रमन अग्रवाल, संस्थापक एवं सीईओ, ज्युपीटाईस ने कहा, “हमारा हमेशा से यही मानना रहा है कि तकनीक के उपयोग द्वारा हम न्याय को सुलभ बनाने के विश्वस्तरीय स्वप्न को साकार कर सकते हैं, अर्थात ऐसी समावेशी न्याय प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जहां कोई भी न्याय से वंचित न रहे। आज आरएसएलएसए के साथ साझेदारी के द्वारा हम अपने इस लक्ष्य के और करीब आ गए हैं। ज्युपीटाईस में हम हर व्यक्ति को न्याय का आसान एवं सशक्त अनुभव प्रदान करने के लिए तत्पर हैं ताकि विवादों के निपटान को नया आयाम दिया जा सके।”